राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 3709/तीन/2015 जिला–मन्दसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-11-15	प्रकरण का अवलोकन किया। यह अपील अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 402/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 10.09.2015 से परिवेदित होकर म.प्र. भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत् पेश की गयी है। 2– यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय की आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जो आवेदन अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया है उसमें यह उल्लेख है, कि अपीलार्थी द्वारा अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 2816 रकवा 1.05 है0 भूमि को इस आधार पर करना चाहता है, कि अपीलार्थी वर्ष 1995 से ग्राम साबाखेडा में नही रहता है, बल्कि मंदसौर जिले में भी नही रह रहा है। इस कारण वह भूमि का उपयोग उपभोग नही कर पर रहा है अतः उक्त भूमि को विक्रय कर करने के पश्चात् अपने पैत्रिक गॉव सेमलखेडी तहसील बाजना जिला रतलाम में स्थित कृषि भूमि को उन्नत करेगा। इस हेतु विक्रय की अनुमति प्राप्त करने का आवेदन कलेक्टर जिला मंदसौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो आदेश दिनांक 14.02.2012 से निरस्त किया गया। जिसके विरूद्व अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 402/2014–15 प्रस्तुत की गयी थी, जो आदेश दिनांक 10.09.2015 से निरस्त कर दी गयी जिसके	

विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया गया कि अपीलार्थी अपने स्वंय की कृषि भूमि इसलिये विक्रय करना चाहता है, कि वह ग्रमा साबाखेडा तहसील व जिला मंदसौर मे निवास नही करता है इसलिये भूमि का उपयोग और उपभोग नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्थिति में उक्त भूमि विक्रय कर वह अपने पैत्रिक़ गॉव सेमलखेडी तहसील बाजना जिल रतलाम में स्थित भूमि को उन्नत करेगा इसलिये भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति पर विचार किये बिना जो आदेश पारित किये है वह अपास्त किये जाये एवं अपीलार्थी की वर्तमान अपील स्वीकार की जाये।

मेरे द्वारा उभय पक्षों के अभिभाषकों द्वारा किये गये तर्को एवं अपीलार्थी की और से प्रस्तुत दस्तावेजो पर विचार किया प्रस्तुत दस्तावेजो से यह प्रमाणित है कि अपीलार्थी द्वारा विधिवत् कारणों के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति चाही गयी थी, जिसके संबंध में प्रमाण प्रस्तुत किये गये थे किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त दस्तावेजो पर एवं प्रमाणों पर विचार किये बिना जो आदेश पारित किये है, वह उचित नहीं है। उक्त प्रकरण में भूमि विक्रय किये जाने से अपीलार्थी को उचित बाजार मूल्य प्राप्त हो रहा है, जो निर्धारित गाईड लाईन के अनुसार है। इसके अलावा अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में बताया है कि वह प्रश्नाधीन भूमि विक्रय कर अपने पैत्रिक गॉव से सेमलखेडी तहसील बाजना जिला रतलाम में स्थित भूमि को उन्नत करेगा यह तथ्य दस्तावेज एवं साक्ष्य से प्रमाणित है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष अभिलेख के विपरीत है जो स्थिर रखे जाने योग्य नही है अपीलार्थी उक्त भूमि को विक्रय करने के पश्चात् अपने पैत्रिक गॉव सेमलखेडी में स्थित भूमि को उन्नत कर अधिक से अधिक कृषि लाभ प्राप्त करेगा। इस प्रकार भूमि विक्रय करने से अपीलार्थी के साथ किसी भी प्रकार का छल-कपट पूर्ण व्यवहार नहीं किया जा रहा है, और न ही ऐसा अभिलेख के स्पष्ट

	होता है, ऐसी स्थिति में जो आदेश अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है अतः कलेक्टर जिला मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2012 एवं अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन पारित आदेश दिनांक 10.09. 2015 विधिवत् एवं उचित नहीं होने से निरस्त किये जाते है, और अपीलार्थी को भूमि सर्वे क्रमांक 2816 रकवा 1.05 है0 स्थित ग्राम साबाखेडा तहसील व जिला मंदसौर में स्थित भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उभय पक्ष सूचित हो। सदस्य	

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील /3709–III–15

अपील प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–मंदसौर

रावजी पुत्र श्री जीवणा भील
निवासी – ग्राम सेमलखेडी तहसील बांजना जिला–रतलाम कृषक साबाखेडा तहसील व जिला मंदसौर (म.प्र.)

.... अपीलार्थी

विरूद्ध

1– श्रीमती पुष्पा देवी पति नरेन्द्र कुमार जी महाजन निवासी – 70 प्रेम कालौनी स्टेशन रोड, मंदसौर

2– मध्य प्रदेश शासन

...... प्रत्यर्थीगण

श्री जागिरदार कुरैशी अधि. द्वारा आज दि. 16/11/15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 402/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 10.09.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 44 के अधीन अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा इस आशय से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। कि ग्राम साबाखेडा तहसील व जिला मंदसौर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2816 रकवा 1.05 है0 को इस आधार पर विक्रय करने चाहता है, कि अपीलार्थी वर्ष 1995 से ग्राम साबाखेडा में नहीं रहता है, बल्कि मंदसौर जिले में नहीं रह रहा है इस कारण भूमि का उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा है। और वह उक्त भूमि को विक्रय करने के पश्चात् अपने पैत्रिक गॉव में रहते हुये ग्राम सेमलखेडी तहसील बांजना जिला रतलाम की भूमि को उन्नत करेगा ऐसी स्थिति में उसे भूमि विक्रय की अनुमति दी जायें।
3. यहकि, अपीलार्थी को जो विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है, वह गाईड लाईन से अधिक मिल रहा है, अपीलार्थी वर्तमान समय में ग्राम साबाखेडा में नहीं रहता है। बल्कि वह रतलाम जिले के ग्राम सेमलखेडी में रहता है ऐसी स्थिति में उसकी भूमि पर अन्य व्यक्ति कब्जा कर सकते है जिससे उसे आर्थिक हानि